कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या: 2 /नियोजन/29(9)/75/नि0/2020–21, दिनॉक: 4-1-2021

शासनादेश संख्या–2769/सैंतिस–2–2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 पृष्ठांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित इसके साथ ही अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर नियोजन अनुभाग (मुख्यालय) को प्रेषित करने का कष्ट करें:–

1. अपर निदेशक (गोधन विकास)।
2. संयुक्त निदेशक(प्रशासन)।
3. संयुक्त निदेशक (रोग नियंत्रण /गौशाला/ईपीडी0)।
4. समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी(LDB)।
7. नोडल अधिकारी(NADCP/KISHAN CREDIT CARD)।
8. श्री नवीन गुप्ता,कम्पूटर सुपरवाइजर को इस आशय से प्रेषित की उक्त कार्यवृत्त विभागीय वेब साइट पर अपलोड करें।

(डा0 राजीव कुमार गुप्ता)
निदेशक,
(प्रशासन एवं विकास)।

प्रमुख सचिव, पशुधन उ0प्र0, शासन की अध्यक्षता में जनपद/मण्डल स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा दिनॉक 10.11.2020 को सम्पन्न "वीडियो कान्फ्रेन्सिंग" का कार्यवृत्त।

उपस्थिति– निम्न अधिकारियों द्वारा उक्त बैठक में प्रतिभाग किया गया।

(1) निदेशक, (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) अपर निदेशक (गोधन विकास)।
(3) संयुक्त निदेशक (रोग नियंत्रण/नियोजन/गौशाला/ईपीडी0)।
(4) नोडल अधिकारी, (मनरेगा)।
(5) डा0 ऐ0के0 वर्मा, उपनिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

प्रमुख सचिव, पशुधन उ0प्र0 द्वारा एजेण्डानुसार बिन्दुवार समीक्षा की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

1. **राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा**– निदेशक, प्रशासन एवं विकास द्वारा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रथम चरण के 28 जनपदों में टीकाकरण की प्रगति, अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपभोग, वैक्सीनेटर/सहायकों के चयन की स्थिति, प्री सीरम सैम्पल प्रेषण की स्थिति, टैगिंग/इनाफ पोर्टल पर की गयी फीड़िग की समीक्षा की गई। कार्यक्रम अन्तर्गत 28 जनपदों में से अधिकांश जनपदों ने टीकाकरण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है तथा इनाफ पर प्रगति अपलोडं करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रभारी, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, प्रतापगढ ने अवगत कराया कि 20वीं पशुगणना में जनपद में लगभग 2.26 लाख पशुओं की गणना अधिक की गई है जिसके कारण लक्ष्य 12 लाख निर्धारित किया गया है, जबकि जनपद में 9.86 लाख पशुओं में टीकाकरण किया जा चुका है। प्रमुख सचिव, द्वारा निर्देश दिये गये कि जनपद में यदि पशुगणना में कोई लापरवाही की गई है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ तथा यदि टीकाकरण कार्य में कोई लापरवाही की गई है तो वर्तमान अधिकारी के खिलाफ जॉच कर आख्यानुसार कार्यवाही की जाए तथा अपर न्दिेशक ग्रेड–2, प्रयागराज एंव प्रभारी मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा जाए।

प्रमुख सचिव द्वारा अवगत होना चाहा कि प्रयागराज मण्डल की टैगिंग की स्थिति सबसे नीचे क्यों है, अपर निदेशक ग्रेड–2, प्रयागराज द्वारा संतोषजनक उत्तर न देने पर प्रमुख, सचिव द्वारा अपर निदेशक ग्रेड–2, प्रयागराज को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करने हेतु निर्देशित किया। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, वाराणसी को भी टैगिंग 32.06 प्रतिशत होने के कारण सचेत किया गया तथा निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर इस कार्य को पूर्ण किया जाय और पूर्ण न किये जाने की दशा में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, वाराणसी व अपर

निदेशक ग्रेड–वाराणसी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए तथा संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाए।

प्रथम चरण में हुये टीकाकरण का इनाफ पोर्टल पर अपलोडिंग की समीक्षा की गई जिसमें जनपद औरैया, झांसी एवं बांदा जनपद की अपलोडिंग क्रमशः 1.85, 2.39, 3.05 प्रतिशत है। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, औरैया से जानकारी चाही गई की अपलोडिंग की स्थिति इतनी खराब क्यों है। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी ने अगवत कराया कि जो लॉग इन आई0डी0 बनाई गई थी वह काम नहीं कर रही थी तथा नेटवर्क की समस्या के कारण अपलोडिंग नहीं हो पा रही थी। प्रमुख सचिव ने कहा कि इस तरह के बहाने से कोई काम नहीं चलना है। 490000 टीकाकरण के सापेक्ष केवल 9065 टीकाकरण की सूचना ही अपलोड की गई है जो कार्यरत 477 वैक्सीनेटर के हिसाब से प्रति वैक्सीनेटर केवल 20 टीकाकरण की फीडिंग आती है, जो बहुत ही खेदजनक स्थिति है। अतः मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, औरैया को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद झांसी एवं बांदा के मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर टीकाकरण को अपलोड कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा दोनों जनपदों के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी जायेगी। इसी प्रकार जनपद प्रतापगढ़ की इनाफ अपलोडिंग अत्यन्त कम होने के कारण विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित किये जाने के निर्देश दिय गये। जनपद ललितपुर को एक सप्ताह के अन्दर अपलोडिंग का कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। समस्त जनपद जिनकी इनाफ पर अपलोडिंग कम है वह एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। निदेशालय स्तर पर नोडल अधिकारी अपलोडिंग की प्रतिदिन समीक्षा करें तथा आज की प्रगति और एक सप्ताह बाद की प्रगति की तुलनात्मक समीक्षा करें।

(कार्यवाही– संयुक्त निदेशक प्रशासन/नोडल अधिकारी, एन0ए0डी0सी0पी0/निदेशक, रोग नियत्रंण एवं प्रक्षेत्र)

2 **राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत द्वितीय चरण–** जनपद कन्नौज का टीकाकरण 17.13 प्रतिशत है जो सबसे कम है, प्रमुख सचिव द्वारा जनपद में कुल कार्यरत पशुचिकित्सा अधिकारियों, पशुधन प्रसार अधिकारियों एवं वैक्सीनेटर की संख्या की जानकारी चाही गयी जिसके क्रम में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, कन्नौज द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 15 पशुचिकित्सा अधिकारी, 15 पशुधन प्रसार अधिकारी तथा 322 वैक्सीनेटर उपलब्ध है। प्रमुख सचिव द्वारा टीकाकरण की प्रगति अत्यंत कम होने के कारण मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी कन्नौज को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान किये जाने के निर्देश दिये। जनपद शाहजहॉपुर एवं हापुड़ को टीकाकरण लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम होने के कारण सचेत किया गया। अपर निदेशक ग्रेड–2, बरेली द्वारा आश्वस्त किया गया कि एक सप्ताह में प्रगति परिलक्षित होंगी। जनपद हापुड के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जो वैक्सीनेटर और सहायक

कार्य नही कर रहे है, उनके स्थान पर वैकल्पिक वैक्सीनेटर और सहायकों की व्यवस्था की जाए। अपर निदेशक ग्रेड–2 मेरठ को निर्देशित किया गया कि जनपद हापुड़ की समस्या का निदान करायें तथा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हापुड़ को चेतावनी जारी करें। जनपद फर्रूखाबाद, सीतापुर, हरदोई, महराजगंज, सम्भल एवं बरेली ने टीकाकरण में अच्छा कार्य किया है। प्रमुख सचिव, द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद टीकाकरण का कार्य 30 नवम्बर, 2020 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया कि अनुकूल मौसम होने की दशा में टैगिंग कार्य एवं इनाफ पोर्टल पर अपलोडिंग का कार्य पूर्ण कराया जाय। अभी तक 3 करोड़ टीकाकरण के सापेक्ष केवल 70 लाख की ही अपलोडिंग हो सकी है जो काफी निराशाजनक है। जनपद बागपत, हापुड़, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर, अयोध्या, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, अमेठी, उन्नाव, पीलीभीत, बहराइच, अमरोहा, आजमगढ़ बाराबंकी, बस्ती, मुजफफरनगर, लखनऊ और एटा ने टैंगिंग में अच्छा कार्य किया है। जबकि सीतापुर, सम्भल, हरदोई, कासगंज, मैनपुरी की प्रगति 50 प्रतिशत से कम है।

इनाफ अपलोडिंग में अयोध्या/जौनपुर का अपलोडिंग प्रतिशत क्रमशः 0.79 एवं 1.19 है, जिसके लिए मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, अयोध्या/जौनपुर को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के निर्देश दिये गये। नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा सभी जनपदीय अधिकारियों को अवगत कराया गया कि टीकाकरण से पूर्व पशुओं का रजिस्ट्रेशन इनाफ पोर्टल पर किया जा रहा था। अब टीकाकरण की भी सूचना इनाफ पोर्टल पर अपलोड की जानी है। अतः पशुओं के रजिस्ट्रेशन की संख्या और टीकाकरण के अपलोड की संख्या को आपस में मिक्स न करें, दोनों अलग–अलग हैं। अब टीकाकरण और पशुओं का रजिस्ट्रेशन साथ–साथ किया जा रहा है। प्रमुख सचिव ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनाफ पर टीकाकरण से पहले पशुओं का रजिस्ट्रेशन टैगिंग के आधार पर शुरू किया गया था। अब जिस भी पशु को टीका लगाया जा रहा है उसके टीकाकरण का विवरण इनाफ पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। इसी तरह खुरपॅका/मुहपॅका टीकाकरण के बाद जब ब्रुसेल्ला का टीकाकरण किया जायेगा तब इन्हीं रजिस्टर्ड पशुओं के सापेक्ष टीकाकरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। अतः आप सभी स्पष्ट तरीके से समझ लें कि पशुओं का रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण दर्ज करना अलग–अलग है।

एन0ए0डी0सी0पी0 अंतर्गत पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर धनराशि व्यय तथा उसकी अपलोडिंग की समीक्षा में पाया गया कि जनपद सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती तथा जौनपुर में व्यय शून्य है जिसके प्रति रोष व्यक्त किया गया तथा आपेक्षित व्यय न होने के बारे में जानकारी चाही गई। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा बताया गया कि यूजर आई0डी0 का पासवर्ड क्रियेट नहीं हो पा रहा है और ओ0टी0पी0 नहीं आ रही है। जनपद जौनपुर में ओ0टी0पी0 की समस्या दिल्ली स्तर से है, निर्देशित किया गया कि निदेशालय से सम्पर्क कर

जाए, अवशेष धनराशि वापस लेकर उन जनपदों को आवंटित की जाए जहाँ उसकी जरूरत है। गाजीपुर जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 84 लाख का यू0सी0 भेजा जा चुका है 1 करोड़ 53 लाख का यू0सी0 जिलाधिकारी, गाजीपुर को प्रस्तुत किया गया तो जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि विगत दो माह में जो खर्च हुआ है उसका ही यू0सी0 उनके द्वारा दिया जायेगा, उससे पहले का नहीं। निर्देशित किया गया कि अपर निदेशक ग्रेड–2 के माध्यम से मण्डलायुक्त महोदय को अवगत कराते हुये समस्या को हल कराये।

(कार्यवाही– संयुक्त निदेशक गोशाला/समस्त जनपद/मण्डल स्तरीय अधिकारी)

4. **वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में वृहद गौसंरक्षण केन्द्रों की स्थिति तथा क्रियाशीलता की समीक्षा–** वर्ष 2018–19 में कुल 75 में से 73 वृहद गौसंरक्षण केन्द्र/गोवंश वन्य विहार का निर्माण कार्य पूर्ण है। जालौन और रामपुर का निर्माण कार्य अपूर्ण है। 73 केन्द्र में से 71 केन्द्र क्रियाशील है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी अक्रियाशील केन्द्र वाले जनपद बांदा और चित्रकूट है। जनपद बांदा एवं चित्रकूट ने अवगत कराया कि वर्ष 2018–19 के गोवंश वन्य विहार में 300 एवं 295 पशु संरक्षित किये गये है। निर्देशित किया गया कि केन्द्र के क्रियाशील/संचालित होने की सूचना निदेशालय को प्रेषित की जाये। वर्ष 2019–20 में कुल 75 में 45 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 45 पूर्ण केन्द्रों में से 31 केन्द्र क्रियाशील हैं। जिन 14 जनपदों में निर्माण कार्य पूर्ण तो है परन्तु अक्रियाशील है। यथा जनपद कुशीनगर, बाराबंकी, बहराइच, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, संतकबीरनगर, प्रतापगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, वाराणसी एवं इटावा तथा महाराजगंज। जनपद बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि एक सप्ताह के अन्दर बाउण्ड्री वॉल का निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त केन्द्र संचालित किया जायेगा। जनपद कुशीनगर का केन्द्र क्रियाशील हो चुका है और 10 पशु संरक्षित है। जनपद मथुरा ने बताया कि 7 दिनों में केन्द्र क्रियाशील हो जायेगा। जनपद संतकबीरनगर एवं हमीरपुर ने बताया कि केन्द्र का हस्तान्तरण हो गया है, दो सप्ताह के अन्दर केन्द्र क्रियाशील हो जायेगा। जनपद वाराणसी में 140, जनपद चित्रकूट में 211, जनपद फिरोजाबाद में 25 पशु संरक्षित कर दिये गये है। जनपद बांदा ने अवगत कराया है कि बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्देशित किया गया कि क्रियाशील केन्द्रों की सूचना तत्काल निदेशालय को प्रेषित करे।

(कार्यवाही– संयुक्त निदेशक गोशाला/समस्त जनपद/मण्डल स्तरीय अधिकारी)

5. **वर्ष 2020–21 में वृहद गोसंरक्षण केन्द्रों के नवीन प्रस्तावों के सम्बन्ध में–** कुल 11 जनपदों यथा बदायूँ, शाहजहाँपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र,

समस्या का निराकरण कराये। जनपद श्रावस्ती द्वारा अवगत कराया कि व्यय के बिल आ गये हैं इसी सप्ताह व्यय कर लिया जायेगा।

(कार्यवाही– संयुक्त निदेशक प्रशासन/नोडल अधिकारी, एन0ए0डी0सी0पी0/निदेशक, रोग नियत्रंण एवं प्रक्षेत्र)

3. **निराश्रित/बेसहारा गौवंश के भरण–पोषण** – वित्तीय वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 में भरण– पोषण हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रामण –पत्र प्रेषित किये जाने की समीक्षा में पाया गया कि 29 जनपदों ने 100 प्रतिशत, 11 जनपदों ने 90 से 100 प्रतिशत, 10 जनपदों ने 80 से 90 प्रतिशत, 14 जनपदों ने 50 से 80 प्रतिशत एवं 8 जनपदों ने 10 से 50 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित किये है। 10 प्रतिशत से कम उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करने वाले जनपद हाथरस, रामपुर, बलरामपुर है। जनपद हाथरस से उपयोगिता प्रमाण पत्र ना भेजे जाने के बारे में जानकारी चाही गई, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्वयं हस्ताक्षर करके उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया था। जो कि मान्य नही था। उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप पर भेजा जाना चाहिए। अतः निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जनपद रामपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 5.51 लाख का यू0सी0 भेज दिया गया है। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्ष 2018–19 में भरण–पोषण हेतु मण्डी परिषद की धनराशि जिन जनपदों में अवशेष है, उसे मण्डी परिषद से सहमति लेकर आवश्यकता वाले जनपदों में आवंटित कर दी जाय। जनपद गोण्डा में पशुगणना में गलत फीड़िग को सुधारने के लिये जिलाधिकारी, गोण्डा से बार–बार सुधार हेतु पत्र लिखवाया जा रहा है। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, गोण्डा को निर्देशित किया गया कि गलत फीड़िग के लिये जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करें तथा प्रतिकूल प्रविष्टि दें और सस्पेंशन की कार्यवाही करें। पशुगणना का सत्यापन कराकर जिलाधिकारी, महोदय के माध्यम से पत्र प्रेषित करें। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद ने अवगत कराया कि 106 लाख व्यय के सापेक्ष केवल 6 लाख का ही यू0सी0 भेजा गया है। अपर निदेशक ग्रेड–2, मुरादाबाद को मीटिंग में बगैर तैयारी के आने तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा न करने का स्पष्टीकरण देने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद महराजगंज ने बताया कि रू0 100 लाख के सापेक्ष 65.75 खर्च हो चुका है तथा रू0 23 लाख की यू0सी0 भेज दी गई है। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों द्वारा व्यय नही किया जा रहा है उनको बिना व्यय किये हुये पुनः आवंटन क्यो किया जा रहा है, इस सम्बंध में निदेशालय स्तर के योजनाधिकारी को धनराशि को खर्च किये बिना नया आवंटन न दिये जाने के निर्देश दिये गये। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि मण्डी परिषद द्वारा भरण–पोषण हेतु प्रत्येक जनपद को जारी रू0 100.00 लाख की समीक्षा की जाय तथा व्यय न होने पर अगला आवंटन न किया

कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, बिजनौर, हापुड़, बाराबंकी, मुरादाबाद और औरैया से प्रस्ताव प्राप्त हुये है जिनके लिये धनराशि की उपलब्धता कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2, और मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिला प्रशासन से समन्वय कर भूमि का चिन्हाकंन की कार्यवाही कराकर सूसगंत प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया गया कि कम से कम 5 प्रस्ताव प्रत्येक मण्डल से प्रेषित होने चाहिए। अपर निदेशक, प्रयागराज ने अवगत कराया कि जनपद फतेहपुर के गड़वा अमौली में 4 हेक्टेयर अच्छी जमीन मिली है, क्या एक स्थान पर दो केन्द्रों की प्रशासनिक स्वीकृति मिल सकती है। इस सम्बंध में प्रमुख सचिव ने सहमति प्रदान करते हुये प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ ने अवगत कराया गया है कि जनपद के एक चिकित्सालय पर लगभग 03 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन उपलब्ध है, क्या उस पर वृहद गोसंरक्षण केन्द्र बनवाया जा सकता है। जिस पर निर्देशित किया गया कि उसका प्रस्ताव भेजा जाय।

(कार्यवाही– संयुक्त निदेशक गोशाला/समस्त जनपद/मण्डल स्तरीय अधिकारी)

6 **संरक्षित गोवंश की समीक्षा**– जनपद बिजनौर, रामपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, शामली, गौतमबुद्वनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, मुजफ्फनगर एवं बाराबंकी में 100 प्रतिशत से अधिक गोवंश संरक्षित है तथा जनपद गोण्डा, बस्ती, देवरिया, श्रावस्ती, गाज़ीपुर, उन्नाव बरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और हाथरस में 30 प्रतिशत से कम गोवंश संरक्षित है। प्रमुख सचिव द्वारा अवगत होना चाहा कि 1 माह पूर्व से संरक्षित पशुओं की संख्या 5,27000 की रिपोर्टिंग की जा रही थी, पिछले 3–4 दिन में संरक्षित पशुओं की संख्या 5,24000 कैसे हो गयी है। प्रश्नगत प्रकरण पर निर्देशित किया गया कि 3000 पशुओं की संख्या किस जनपद के द्वारा कम की गयी है। निदेशालय/जनपद स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। संरक्षित गोवंश का अनुश्रवण मुख्यमंत्री स्तर से किया जाता है, अतः समस्त जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि इस तरह की गलतियॉ की पुनरावृति न की जाएं।

(कार्यवाही– संयुक्त निदेशक गोशाला/समस्त जनपद/मण्डल स्तरीय अधिकारी)

7. **किसान केडिट कार्ड की समीक्षा**– दिनॉक 6.11.2020 तक प्राप्त 4,20,600 के0सी0सी0 आवेदन पत्रों को बैंकों में प्रेषित किये गये, जिसके सापेक्ष बैकों द्वारा 41475 के0सी0सी0 जारी किये गये है। जनपद यथा आगरा, बांदा, सिद्वार्थनगर, श्रावस्ती, खीरी, कन्नौज, बलरामपुर, औरैया, कानपुर देहात एवं झांसी, आवेदन फार्म बैंको में जमा करने की स्थिति सबसे खराब है। प्रमुख सचिव द्वारा

निर्देशित किया गया है कि 10 लाख आवेदन फार्म बैंको में जमा करने का लक्ष्य को शीघ्रता से पूर्ण करें तथा इसका विवरण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल पर दर्ज करें। पोर्टल पर सूचना अपलोड न होने की दशा में सम्बन्धित की सूचना शून्य मानी जायेगी। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल का यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। प्रमुख सचिव ने निर्देशित किया कि डेयरी विभाग से समन्वय स्थापित कर फीड़िग का कार्य कराये या नया यूजर आई0डी, पासवर्ड प्राप्त कर जनपदों को उपलब्ध कराया जाए।

(कार्यवाही– नोडल अधिकारी, किसान केडिट कार्ड/ जनपद/मण्डल स्तरीय अधिकारी)

8. राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकम–

उक्त कार्यकम की समीक्षा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0पी0एल0डी0बी0 द्वारा अवगत कराया गया कि एन0ए0आई0पी0–फेज –2 की प्रगति अच्छी नही है। 75 जनपदों में से केवल 5 जनपद ही ऐसे हैं जिनके द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक की प्रगति दर्ज की गई है जिनमें देवरिया 22.40 प्रतिशत, चन्दौली 13.29 प्रतिशत, मेरठ 11.14 प्रतिशत, गाजियाबाद 10.85 प्रतिशत तथा मुजफ्फरनगर 10.51 प्रतिशत की प्रगति हुई है। शेष 70 जनपदों की प्रगति 01 से 10 प्रतिशत है जिसपर प्रमुख सचिव द्वारा रोष व्यक्त करते हुये निर्देशित किया कि इस कार्य को भी अन्य कार्यो की भांति प्राथमिकता से पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा की स्थिति में वार्षिक चरित्र प्रविष्टि प्रतिकूल कर सेवा पुस्तिका में अंकन किया जायेगा।

(कार्यवाही यू0पी0एल0डी0बी0/जनपद/मण्डल स्तरीय अधिकारी)

9. अन्य बिन्दु–

- प्रमुख सचिव द्वारा अनेको बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी कुछ जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों के द्वारा व्हाटसअप ग्रुप पर अनावश्यक व अत्याधिक फोटो अपलोड किये जाने स्थिति में रोष प्रकट किया गया तथा पुनः निर्देशित किया गया कि सहभागिता योजना, कुपोषित परिवार को कोई गाय दी गयी हो, मनरेगा अन्तर्गत कोई कार्य किया गया हो, पराली एकत्रीकरण के कार्य में किसी किसान को सम्मानित किया गया हो आदि विशिष्ट कार्यो की हीं 1–2 फोटो ही ग्रुप पर अपलोड करे अन्यथा की स्थिति में शासन स्तर से कार्यवाही की जायेगी।

- जनपद/मण्डल स्तरीय अधिकारी हैं जो व्हाटसअप ग्रुप में क्या हो रहा उसकी उनको कोई खबर ही नहीं रहती है और ना ही वो दिये गये निर्देशों का पालन करते हैं, पर रोष प्रकट किया गया।

- प्रमुख सचिव ने कुछ अधिकारियों द्वारा रात में मो0 फोन पर कॉल कर मिलने का समय मॉगते है। जिस पर रोष व्यक्त किया तथा निर्देशित किया जिस किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को कोई कार्य हो वो कार्यालय के फोन नं0 0522–2238106 पर सम्पर्क कर अपनी समस्या से अवगत करा सकता है।
- जिन अधिकारियों के पास अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि लम्बित हो उसे शीघ्र ही पूर्ण कराकर भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा जिस अधिकारी के स्तर पर वार्षिक चरित्र प्रविष्टि लम्बित होगी उसके विरूद्व कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- अपने अधीनस्थ संगठनों की बैठक प्रत्येक माह कराना सुनिश्चित करे।
- जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गोसंरक्षण समिति की बैठक कराना सुनिशचित किया जाए तथा सभी समस्याओं का निराकरण बैठकों के माध्यम से पूर्ण कराया जाए।
- आवंटित की गयी धनराशि का व्यय करना सुनिशचित करे, भरण पोषण के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करें तथा मण्डलीय अधिकारी अपने स्तर से अपने–अपने जनपदों के कार्यो की सघन समीक्षा करे।
- दीपावली के पश्चात नोडल अधिकारियों को जनपद भ्रमण होगा जिसमें संरक्षित पशुओं को शीत ऋतु से बचाव हेतु समस्त उपाय कराने होगे।
- प्रमुख सचिव महोदय को जनपद चित्रकूट एवं कानपुर देहात के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में मु.प.चि.अ. के उपयोगार्थ कोई वाहन नही है।
- मु.प.चि.अ. महाराजगंज द्वारा अवगत कराया गया कि गोसदन मधुबलिया में गोवंशीय पशुओं के भरण पोषण हेतु कोई धनराशि अवंटित नही की गयी है जिससे उक्त केन्द्र के संचालन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त केन्द्र पर पर्याप्त भूमि है जिसका उपयोग चारा आदि उगाने के कार्य किये जा सकते है तथा साथ हि साथ यह भी निर्देशित किया कि जिलाधिकारी स्तर पर गठित समिति के समक्ष इस समस्या को रखा जाय तथा उसी स्तर से इसका समाधान किया जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग–2
संख्या–2769/सैंतीस–2–2020
लखनऊः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) निदेशक, रोग नियंत्रण एव प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग।
(3) अपर निदेशक, गोधन विकास।
(4) समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2 पशुपालन विभाग।
(5) संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण एव प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग।
(6) नोडल अधिकारी (मनरेगा)।
(7) समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
(8) डा0 ए0के0 वर्मा उप निदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।